

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल

क्रमांक 15830-60 /स्था./4/2021

भोपाल, दिनांक 4 /06/2021

सूचना

समस्त सीनियर रेसिडेन्ट को निर्देशित किया जाता है कि, म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया गया है एवं वर्तमान में देश में कोरोना महामारी के कारण शासन द्वारा एस्मा लागू है। अतः आज दिनांक 04/06/2021 की स्थिति में जो भी सीनियर रेसिडेन्ट अनाधिकृत रूप से अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित है वह तत्काल जनहित में अपने कार्य स्थल पर उपस्थित होवे अन्यथा उनके विरुद्ध वर्तमान गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति सीनियर रेसिडेन्ट भर्ती एवं सेवा नियम 2020 की नियम 6 एवं 7 के उपनियम 6.1 एवं 6.2 और उपनियम 7.2 के 7.2.2, 7.2.3 एवं 7.2.4 अनुसार अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं नियम क्रमांक 7.3 के उपनियम 7.3.1 अनुसार निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी।


अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित ।

1. संभागायुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. भोपाल ।
3. अधीक्षक हमीदिया चिकित्सालय /सुल्तानिया महिला चिकित्सालय भोपाल ।
4. समस्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ।
5. नोटिस बोर्ड गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, कमला नेहरू चिकित्सालय, हमीदिया चिकित्सालय, हॉस्टल ब्लॉक ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी ।
6. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की Website पर ।

11
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल